न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2010/00194 (325/2010) 223 आरटीएक्ट

1. मेहरचन्द
2. दौलतराम
3. औमप्रकाश
4. प्रहलाद

पुत्रगण स्वर्गीय श्री पतराम जाति जाट, निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. भादरराम
2. बृजलाल
3. हरिराम

पिसरान नंदराम, जाति जाट, निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2010 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 14/2003 (380/86) बअनवानी मेहरचन्द बनाम भादरराम आदि

श्री छगनलाल सिडाना, अनुभव सिडाना अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक –13.11.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स/वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया में एक राजस्व वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय में प्रस्तुत रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि वादीगण ने ग्राम श्योदानपुरा की आराजी खसरा नं. 249 रकबा 13.03 बीघा में खसरा नं. 266 रकबा 4.01 बीघा कुल 17.04 बीघा भूमि पंजीकत विक्रयपत्र द्वारा खातेदार हरीसिंह पुत्र सुरजनसिंह से खरीद है। वर्तमान में भू प्रबन्ध में उक्त रकबा 17.04 बीघा भूमि में खसरा नं. 45 रकबा 4.009 है. तथा खसरा नं. 60 रकबा 0.329 है. कुल 4.338 है. में सीमांकित एवं परिवर्तित करके वादी के पक्ष में लगान जारी किया गया, लेकिन रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर खसरा नं. 15 का रकबा 4.009 है. के स्थान पर 3.064 है. तथा खसरा नं. 60 का रकबा 0.329 है. के स्थान पर 0.266 है. अंकित करवा लिया जो अवैधानिक है और इसलिए वादी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर दावे का विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दावे मे दादरसी सहित 6 तनकीयात बनाई तथा विचारण उपरान्त वादी/अपीलाण्ट का दावा दिनांक 06.11.1999 को डिक्री कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में प्रस्तुत हुई जो दिनांक 20.04.2000 को स्वीकार की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये गये। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय एवं डिक्री की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा 31.10.2002 को निर्णय पारित करते हुए दोनों अधिनस्थ न्यायायल के निर्णयों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः तनकी वाईज निर्णय पारित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 09.04.2010 को तनकीवाई निर्णय पारित करते हुए वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तु की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गलत विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने खसरा नं. 249 व 266 में कुल 17.04 बीघा भूमि खरीदी थी जिसका नया खसरा नं. 45 में 4.009 है. व 60 में 0.329 है. सही रकबा पैमूद हुआ है जो ईएक्स 8 ए से साबित है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने हमारा रकबा कम कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई विवेचन नही किया। अपीलाण्ट ने अपनी साक्ष्य में पटवारी हल्का एवं कानूनगो का पेश किया था एवं अपनी स्वतंत्र साक्ष्य पेश की थी लेकिन विचारण न्यायालय ने इस साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलाण्ट ने अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैयनामे एवं जमाबंदीयां व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किए एवं खसरा नम्बरों का परिवर्तन तालिका भी पेश की। अपने साक्ष्यों से दावे को साबित किया था। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन नहीं किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय की पालना में विचारण न्यायायल ने प्रथम विवादक को आधार मानकर समस्त निर्णय पारित कर दिया जबकि विवाद संख्या 1 अपीलाण्टान ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। विवादक संख्या 3, 4, व 5 के संबंध मं विचारण न्यायालय ने कोई राय प्रकट नहीं की। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण का तर्क है कि खसरा नं. 45 व 60 पुराने खसरा नम्बर 249 के ही बने हैं जो केवल 13.03 बीघा का ही था। खसरा नम्बर 45 व 60 में अधिक रकबा दर्ज हो जाने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान पर आपत्तियां आमन्त्रित की गई थी तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः पैमाईश कराई थी। पैमाई के बाद सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट व अन्य पड़ोसियों के खाते में से अधिक रकबा मानते हुए निर्णय दिनांक 21.11.1977 पारित करके दो नये खसरा नं. 95/45 व 96/60 बनाये जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये तथा संशोधित पर्चा लगान इएक्स 3 व ईएक्स 4 जारी कर दिये गये थे, इसके मुताबिक खसरा नं. 45 व 60 का रकबा क्रमश 4.009 है0 व 0.329 है. नहीं रहा है। अपीलाण्ट द्वारा इसकी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तो फिर बाद में वह कोई आपत्ति नहीं कर सकता। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निर्णय उपरान्त विचारण न्यायालय ने तनकीवाई निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (15) 2008 पेज 232 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया था कि उसके द्वारा दो खसरों की 17.04 बीघा भूमि खरीद की थी। जो भू प्रबन्ध विभाग ने नये खसरों मे परिवर्तित करते समय 4 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। विचारण न्यायायल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार 6 तनकियात पर तनकीवाईज निर्णय पारित किया है।

7. तनकी नं. 1 क्या वादीगण रोही श्योदानपुरा तहसी टिब्बी के ख0 नं0 45 में 4.009 तथा खसरा नं. 60 में 0.329 है. के खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादीगण का उसमे कोई अधिकार नहीं है की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त कर जमाबन्दी में संशोधन करने के हक दार हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादीगण ने खसरा नं. 249 व 266 की कुल 17.04 बीघा भूमि खरीद की थी। भू प्रबन्ध विभाग ने पर्चा लगान जारी किया है उसमें खसरा नं. 149 का खसरा नं. 45 व खसरा नं. 266 से नया खसरा 60 में 0.329 है. रकबा पैमूद किया गया है परन्तु पर्चा लगान पर आपत्ति पेश करने पर भू प्रबन्ध विभाग ने पुनः पैमाईश करवाई और पैमाईश के बाद सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वादीगण व अन्य पड़ोसियों के खाते में अधिक भूमि मानते हुए निर्णय दिनांक 21.11.77 को पारित किया और दो नये खसरो का निर्माण किया गया जो 95/45 व 96/60 बनाये गये और प्रतिवादीगण की 4 बीघा भूमि जो वादीगण के नाम दर्ज थी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट ने कोई अपील पेश नहीं की। यह निर्णय अन्तिम हो गया और भू0 प्रबन्ध विभाग ने नया पर्चा लगान जारी किया जिसके अनुसार खसरा नं. 45 व 60 का रकबा 4.009 है. व 0.329 है. नहीं रहा अर्थात जब खसरा नं. 45 और 60 में 4.009 है 0 0.329 है. रहा ही नहीं तो वादीगण इस रकबा को पाने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा यह तनकी वादी द्वारा साबित करने में असफल रहने पर उसका निर्णय वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। अपीलाण्ट ने अपील में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह तनकी उसके पक्ष में साबित हो। अतः यह तनकी अपीलाण्ट के विरूद्ध एवं रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

8. तनकी नं. 2 क्या रोही श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के ख0 नं. 249 जिसका वर्तमान खसरा 45 तथा 60 बने हैं कुल 13.03 बीघा का ही था न कि 17.04 बीघा जैसा कि वादीगण ने दर्ज किया है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। भू प्रबन्ध विभाग ने पहले पुराने खसरों के नये खसरा बनाते समय ख. नं. 249 व 266 के नये खसरा 45 व 60 बनाये जाकर पर्चा लगान जारी किया गया। पर्चा लगान जारी करने पर आपत्ति पेश हुई तो पुनः पैमाईश करवाई गई जिसके अनुसार ख. नं. 249 कुल 13.03 बीघा का ही था जिसके नये खसरा 45 व 60 बने जिसमें अधिक रकबा कायम हो जाने पर नये खसरों का निर्माण 95/45 व 60/96 बनाये जाकर खसरा नं. 45 व 60 में 13.03 बीघा से अधिक रकबा निकाल कर नये खसरों में शामिल कर दिया व संशोधित पर्चा लगान जारी कर दिया। नये पर्चा लगान के अनुसार खसरा नं. 45 व 60 में 13.03 बीघा भूमि ही रही। उक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय ने तनकी नं. 2 को प्रतिवादीगण द्वारा साबित करने से प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है जो विधि सम्मत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. तनकी नं. 3 क्या रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के ख0 नं0 252 में 4.00 बीघा भूम का संशोधन प्रतिवादीगण के हक में दुरूस्त है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार दोनों पक्षों पर था। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा संशोधित आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। यह आदेश निरस्त भी नहीं किया गया है यह आदेश आज भी प्रभावी है। अतः यह तनकी रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

10. तनकी नं. 4 क्या रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी मे वादीगण द्वारा खरीदशुदा ख. नं. 266 की 4.05 बीघा आराजी मुतवाविया से अलग दर्ज है तथा अलग ही कब्जा है।'' तनकी नं. 1 व 2 के विवेचन के अनुसार वादीगण की 4.05 बीघा अन्य जगह स्थित है प्रतिवादीगण के खसरा नं. 45/95 60 /96 में किसी प्रकार का हक नहीं है। यह तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

11. तनकी नं. 5 क्या मामला लैण्ड सर्वे तथा सैटलमेंट का होने के कारण दावा नाकाबिल चलने के है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड को सीमान्तरण करने के समय से ही राजस्व विभाग के पीठासीन अधिकारी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है।

12- उपरौक्त तनकीवार विवेचन अनुसार हम अपीलाण्ट की अपील में ऐसा कोई आधार नहीं पाते हैं जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2010 यथावत रखे जाने योग्य है।

13- उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील सं. 2010/00194 (325/2010) 223 आरटीएक्ट

1. मेहरचन्द
2. दौलतराम
3. औमप्रकाश
4. प्रहलाद

पुत्रगण स्वर्गीय श्री पतराम जाति जाट, निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

—: **बनाम** :—

1. भादरराम
2. बृजलाल
3. हरिराम

पिसरान नंदराम, जाति जाट, निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2010 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 14/2003 (380/86)
बअनवानी मेहरचन्द बनाम भादरराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री छगनलाल सिडाना, अनुभव सिडाना अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2010 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13.11.2019 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: